न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

हनवान शर्मिला आदि बनाम केशर आदि

मुकदमा नं. प्रपत्र 212 एलआर मु.नं. 45/2017

21/11/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/12/19 को पेश हो।
6/12/19	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 12/12/19 को पेश हो।
12/12/19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/12/19 को पेश हो
30/12/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/1/20 को पेश हो।
10/1/20	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/2/20 को पेश हो
4/2/2020	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/2/2020 को पेश हो।
20/2/2020	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थिया का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफल हुजूर होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... मुख्यालय सीकर

भिभाषक संघ, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/45/2017

1. शर्मिला पुत्री दीपाराम उम्र 35 वर्ष
2. चूंकी देवी पुत्री दीपाराम उम्र 59 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण धोद तहसील धोद जिला–सीकर।

बनाम –प्रार्थीगण

1. केशर पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी धोद तहसील धोद जिला–सीकर
2. उपपंजीयक, धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

01. श्री भवानी सिंह, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री प्रभातीलाल, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 20.02.2020

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमियां खसरा सं. 902 रकबा 0.1604 हेक्टेयर व खसरा सं. 710 रकबा 0.95 हेक्टेयर, खसरा सं. 897 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा सं. 898 रकबा 0.08 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.94 हेक्टेयर व खसरा सं. 751 रकबा 8.95 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद में अवस्थित है, जिनके पूर्व सहखातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज भींवा राम की मुत्यु होने पर उक्त आराजियात की खातेदारी जरिये विरासत के उनके पुत्रों दीपाराम, केशर, गुमाना, भागीरथ, ईशरराम के नाम दर्ज हुई। जिसके बाद खसरा सं. 902 गै.मु. आबादी में से 1/15 हिस्सा, खसरा सं. 710, 897, 898 कुल रकबा 1.94 हेक्टेयर में से 1/15 हिस्सा व खसरा सं. 751 रकबा 8.95 हेक्टेयर में से 1/30 हिस्से की खातेदारी दीपाराम के नाम से हो गई, जिस पर प्रार्थीगण दीपाराम के साथ ही काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रार्थीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

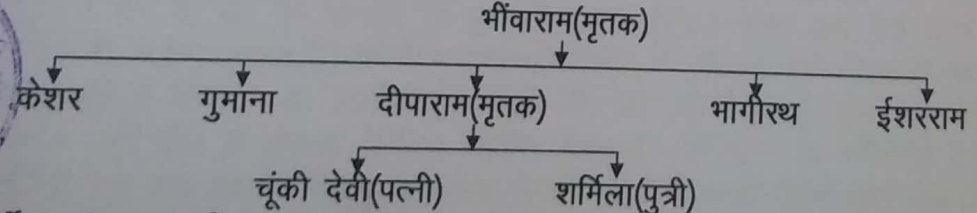

प्रार्थीया सं. 1 का पिता एवं प्रार्थीया सं. 2 का पति दीपाराम, जो कि अप्रार्थी सं. 1 के वशीभूत था। जिसके चलते अप्रार्थी सं. 1 ने दीपाराम के हक–हिस्से की भूमियों का दिनांक 07.05.2010 को बिना प्रार्थीगण की सहमति के अपने पक्ष में एक नुमाईशी हक समोचन पत्र पंजीबद्ध कराया गया, जो कि प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैद्य, शून्य एवं प्रभावहीन है। उक्त आराजियात दीपाराम के हक–हिस्से की पैतृक सहदाय की भूमियां है, जिसमें प्रार्थी सं.

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

1 का उनके पिता के जीवनकाल से ही धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नोशनल हिस्सा निहित था। उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 व 42 में बेचान, उपहार, वसीयत के अलावा अन्तरण का कोई और प्रावधान नहीं है तथा समोचन–पत्र अन्तरण की परिधि में नहीं आता है। इसलिए समोचन–पत्र प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध अवैद्य, शून्य व प्रभावहीन है। दीपाराम की मृत्यु दिनांक 01.06.2017 के बाद विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए दिनांक 23.06.2017 को हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर अवगत करवाया गया कि जरिये हकत्याग के अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। पता लगने पर ग्रामवासियों के सामने अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त समोचन–पत्र को निरस्त करवाने हेतु हामी भरी। परन्तु दिनांक 04.07.2017 को अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी कि दीपाराम के हक हिस्से की भूमि को खाली कर दें अन्यथा खड़ी फसल को नष्ट कर दी जायेगी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं होगी। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमियां खसरा सं. 902 रकबा 0.1604 हेक्टेयर व खसरा सं. 710 रकबा 0.95 हेक्टेयर, खसरा सं. 897 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा सं. 898 रकबा 0.08 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.94 हेक्टेयर व खसरा सं. 751 रकबा 8.95 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री प्रभातीलाल ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में प्रस्तुत सजरा खानदान गलत है। प्रार्थीगण प्रार्थी की पुत्री/पत्नी नहीं है। प्रार्थीगण ने पंजीकृत अन्तरण प्रलेख(समोचन–पत्र) दिनांकित 07.05.2010 को जुलाई 2017 में चुनौती देकर राजस्व न्यायालय से समोचन–पत्र को प्रार्थीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध अवैद्य, शून्य व प्रभावहीन उद्घोषित किये जाने का मुख्य अनुतोष चाहा है, जिसका अंकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय को उन्हीं दावों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो तृतीय अनुसूची में शामिल हों। इसलिए वाद–पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से टी.आई. आवेदन खारिज किया जावें। समोचन–पत्र को चुनौती देने की मियाद 3 वर्ष है, जो कि समाप्त हो चुकी है। अतः मियाद बाहर वाद पेश करने पर टीआई आवेदन भी खारिज योग्य है। प्रार्थीगण अजनबी व्यक्ति है, जिनके पास वादग्रस्त आराजियात का कब्जा नहीं है और ना ही प्रार्थीगण ने कब्जे की मांग की है। अतः कब्जे के अभाव में दावा पोषणीय नहीं होने से टीआई आवेदन खारिज योग्य है। समोचन–पत्र रजिस्टर्ड अन्तरण प्रलेख है, जिसे जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज नहीं करवा लिया जावें जब तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

03. बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न विरासत के नामान्तरकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थीयागण के पिता/पति व अप्रार्थी सं. 1 को जरिये विरासत प्राप्त हुई थी। इसलिए उक्त भूमि पैतृक होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। पति के जीवित रहते हुये पति की सम्पत्ति में पत्नी का कोई हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए प्रार्थीया सं. 2 का विवादित भूमि में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 6 में उल्लेख किया गया है कि "अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण के पिता/पति दीपाराम को बहला फुसलाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के बहाने हकत्याग दिनांक 07.05.2010 को रजिस्टर्ड करवा लिया।" उक्त विवरण से यह अंदेशा है कि प्रार्थीगणों को उक्त हकत्याग की जानकारी थी। सन् 2010 के हकत्याग की जानकारी दीपाराम की पत्नी व पुत्री को 7 वर्ष तक नहीं होने की बात तर्कसंगत नहीं है। उक्त स्थिति के आलोक में प्रार्थीया सं. 1 का कोई हिस्सा बनता है या नहीं, इसका निर्णय दावे में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जायेगा, लेकिन तथ्यों के अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थीया सं. 1 का मामला भी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है।

(B) सुविधा का संतुलन– प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

(C) अपूरणीय क्षति– अप्रार्थी सं. 1 वर्तमान में जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। इसलिए यदि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इस स्टेज पर कोई टी.आई. जारी की जाती है, तो अप्रार्थी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यह बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.03.19 15:07:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: